रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042020-219163
CG-DL-E-25042020-219163

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2020/वैशाख 3, 1942
No. 1177] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2020/VAISAKHA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020

का.आ. 1320(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3064 (अ) तारीख 23 अगस्त 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 16 / (NH-5 पुराना) के 949.800 कि.मी. से 938.800 कि.मी. (गुंडगोलानु – राजमहेंद्रवरम सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौडा करने / छे लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26 सितम्बर, 2019 को "दि डेक्कन क्रॉनिकल" (अंग्रेजी) और "आंध्र ज्योति" (तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुई है!

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केंन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केंन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केंन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 / (NH-5 पुराना) के 949.800 कि.मी. से 938.800 कि.मी. तक के भूखण्ड (गुंडगोलानु – राजमहेंद्रवरम सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण;

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		**जिले का नाम: ईस्ट गोदावरी**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रावलपालेम				
	गांव का नाम: इथाकोटा				
1	277/6B1A	निजी	ड्राई	0.004047	श्रीमती. कूड़ापा ह्यमावठी व/ओ वेंकटेस्वर रओ (277/६ब्१ अ)
2	278/2B2A	निजी	ड्राई	0.001011	चिन्नम रविंदरारेड्डी स/ओ गाणगिरेड्डी (278/२ब्२ अ)
3	278/2B2B	निजी	ड्राई	0.001011	श्रीमती. आने चिट्टेम्मा व/ओसत्यनारायण (278/२ब्२ब)
			कुल	**0.006069**	

[फा. सं. NHAI/11011/LA/Notif.-3a/PIU-RJY/2011-12/3A6/3D6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2020

S.O. 1320(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.3064 (E), dated 23rd August, 2019 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six Lanning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.16 (old NH-5) in the stretch of land from Km.949.800 to Km 938.800 (Gundugolanu – Rajamahendravaram section) in the District of East Godavari in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Deccan Chronicle" (English), and "Andhra Jyothi" (Telugu), both dated 26.09.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act,

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 949.800 to Km 938.800 of NH-16 (Old NH-5) in the District of East Godavari in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH		**District: EAST GODAVARI**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ravulapalem				
	Viilage: Ethakota				
1	277/6B1A	Private	Dry	0.004047	Smt. Kudapa Hymavathi W/o. Venkateswara Rao 277/6B1A
2	278/2B2A	Private	Dry	0.001011	Chinnam Ravindrareddy S/o Gangireddy 278/2B2A
3	278/2B2B	Private	Dry	0.001011	Smt. Ane Chittemma W/o Satyanarayana 278/2B2B
			TOTAL	**0.006069**	

[F. No. NHAI/11011/LA/Notif.-3a/PIU-RJY/2011-12/3A6/3D6]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.25 19:47:30 +05'30'